न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

देवीकांता बनाम हरिशंकर

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या –: 305/2024 (मौजमाबाद)

	श्री लक्ष्मणनाथ योगी महेन्द्रसिंह चौहान 01	
04.12.2024	देवीकांता बनाम हरिशंकर (2024/305) यह अपील श्री लक्ष्मण नाथ योगी एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 132/2024 में पारित ओदश दिनांक 25.10.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री महेन्द्रसिंह चौहान एडवोकेट ने कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। अभिभाषक कैवियटकर्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र की प्रति दी गई। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट उभयपक्ष प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2024 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। जो कि अन्तिम आदेश नहीं होकर, अन्तरिम आदेश है। मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने वाद पेश किया गया तथा वाद के साथ प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। जिसे दिनांक 25.10.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी की बहस सुनी जाकर एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिये जाकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.12.2024 नियत की गई। अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा सीधे ही अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जवाब हेतु विचाराधीन है तथा प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं, फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद को निर्देशित करना उचित समझते है। **अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 60दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner